सभा पटल पर रखे गये पत्र

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष १९५७–५८ का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग १ और २) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ११०२/५८]

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं एयर कारपोरेशन अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० ११०३/५८]

(२) एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन का १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० ११०४/५८]

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ८ दिसम्बर, १९५८ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर, अन्य स्थानापन्न प्रस्तावों के साथ, अग्रेतर विचार करेगी :—

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये ।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर कल जो वाद-विवाद हुआ उस में मुख्यतया भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों तथा विशेष रूप से सीमा विवादों का जिक्र किया गया । कुछ अन्य बातों के सम्बन्ध में भी जिक्र किया गया । मैं सीमा विवादों के सम्बन्ध में और उस करार के सम्बन्ध में, जिसे कभी कभी नेहरू-नून करार कहा जाता है, कुछ बताना चाहता हूं । परन्तु ऐसा करने के पूर्व मैं सीमा सम्बन्धी कुछ प्रश्नों की बात दोबारा कहना चाहता हूं ।

माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह ने जिस भाषा का प्रयोग किया उस से मेरे दिमाग में और संभवतः अन्य लोगों के दिमाग में भी काफी गलतफहमी पैदा हो गई । उन्हों ने कहा कि वह हमारी नीति, हमारी विदेशी नीति से सामान्यतया सहमत हैं पर हमारी गुटों में सम्मिलित न होने की नीति से सहमत नहीं हैं । यह एक अजीब बात उन्होंने कही—एक तरफ वह कहते हैं कि वह हमारी नीति से सहमत हैं और दूसरी ओर उस से इन्कार करते हैं । उस के बाद उन्हों ने कहा कि फिर भी मैं नेहरू की नीति से सहमत हूं । उन की बात मेरी समझ में नहीं आई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं नहीं समझता कि हमारी सामान्य नीति, गुटों में शामिल न होने की नीति तथा उस नीति में, जिसे गलती से नेहरू नीति कहा जाता है क्या अन्तर तथा भिन्नतायें हैं। मैं समझता था कि ये तीन लगभग एक ही हैं।

फिर भी, सर्वप्रथम मैं गलतफहमी को दूर करने के लिये यह बताना चाहता हूं कि हमारी गुटों में शामिल न होने की नीति का अर्थ है सैनिक गुटों में शामिल न होने की नीति। यह कोई नकारात्मक नीति नहीं है बल्कि एक रचनात्मक, निश्चित और, मैं समझता हूं कि, एक गतिशील नीति है पर जहां तक सैनिक गुटों तथा विद्यमान तनाव का सम्बन्ध है, हम किसी भी गुट के साथ नहीं हैं। वास्तव में यह नीति नहीं, बल्कि नीति का एक भाग है। यह बात काफी स्पष्ट है और हम इस बात को आज बलपूर्वक कहते हैं कि हम शीतयुद्ध के किसी दल में या किसी सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि आज संसार के देश शीतयुद्ध तथा सैनिक गुटों की बातें करते हैं और उन्हें एक दूसरे से भय बना रहता है।

अपने सुनिश्चय के अनुसार तथा अपने मुख्य उद्देश्यों तथा आदर्शों की संवृद्धि के उद्देश्य से काम करने की नीति ही हमारी नीति है। प्रत्येक देश की विदेशी नीति का प्रथम उद्देश्य अपनी रक्षा, अपनी उन्नति करना होता है और प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करनी चाहिये। देश की सुरक्षा को कई प्रकार से रक्षित रखा जा सकता है। सामान्य धारणा यह है कि सुरक्षा की रक्षा सेना द्वारा की जाती है। यह बात सत्य अवश्य है पर अंशतः ही सत्य है। सुरक्षा की प्राप्ति तो नीतियों द्वारा होती है। यदि आप की मित्रता है अन्य देशों से तो आप कुछ सीमा तक सुरक्षित हो सकते हैं और यदि आप की शत्रुता है तो आप की सुरक्षा कुछ खतरे में हो सकती है। अतः अन्य देशों के साथ मित्रता की नीति अपनाने में सुरक्षा की वृद्धि होती है। यह नीति सफल न हो, यह एक दूसरी बात है।

इस के अतिरिक्त विस्तृत दृष्टिकोण से भी हम ने सदा ही विश्व शान्ति के लिये प्रयत्न किया है। हम यह भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में हमारा प्रभाव बहुत सीमित हो सकता है। इस का कारण यह है कि न तो हमारे पास आधुनिक आणविक शस्त्र है न हमारी क्षमता ऐसे शस्त्रों को रखने की है। फिर भी हमारा प्रभाव नगण्य नहीं रहा है, इसलिये नहीं जैसा मैं बता चुका हूं कि ऐसे मामलों में हम बहुत प्रभावशाली हैं—हम इस बात का दावा नहीं करते—बल्कि इसलिये कि हम विश्वास करते हैं कि शान्ति स्थापित करने के संबंध में हम ने जो कुछ कहा है उस का प्रभाव संसार के सभी देशों के लोगों के हृदय पर पड़ा है। क्यों यह एक सही तथा ठीक बात थी। सरकारी नीतियों, तनाव तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के होते हुए भी हमारी बातों को लोगों ने पसन्द किया और उस की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई।

सरकारों पर हमारा क्या प्रभाव है इस संबंध में मैं समझता हूं कि इस मामले की अविलम्बनीय आवश्यकता के सम्बन्ध में उन पर प्रभाव डालने में हमें सफलता मिली है। यद्यपि मैं इस संबंध में निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता फिर भी मैं कुछ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शान्ति के मामले में संसार भर के लोगों पर हमारा काफी प्रभाव है। यदि कोई माननीय सदस्य संसार के किसी भाग में, यूरोप, एशिया, अमरीका और अफ्रीका जाये तो वे देखेंगे कि शान्ति के सम्बन्ध में भारत का नाम लिया जाता है। इन बातों के कारण हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शान्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में नाम का सम्बन्ध होना एक विशेष महत्व की बात है पर इस से हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और हमारे लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि हम विश्वशान्ति को बढ़ाने के लिये ही प्रयत्न करें बल्कि अपने देश के सम्बन्ध में भी हम इसी प्रकार काम करें जिस से शांति की रक्षा व वृद्धि हो। यह बात हमारे लिये ठीक नहीं कि संसार के सामने हम कुछ और बात

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कहें और अपने घरेलू मामलों में कुछ और बात कहें या काम करें जोकि संसार के सामने कही गई बात के विरुद्ध हो ।

हमारी विदेशी नीति का यह रचनात्मक दृष्टिकोण है । वह रचनात्मक दृष्टिकोण यह है कि संसार में स्वतंत्रता की वृद्धि हो, उपनिवेशों के स्थान पर स्वतंत्र देश हों और उनमें अधिक से अधिक सहयोग हो । अत : यदि श्री जयपाल सिंह इस बात पर आगे विचार करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने हमारी नीति की जो विभिन्न परिभाषायें तथा व्याख्यायें दीं, उनमें कोई संघर्ष नहीं है । फिर भी, हमारी नीति को 'नेहरू नीति' कहना सर्वथा गलत है । इसका कारण यह है कि हमने तो इस नीति को मज़बूत बनाने का प्रयत्न मात्र किया है ; मैंने इसका सूत्रपात्र थोड़े ही किया है । यह नीति तो भारत की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है, प्राचीन विचारधारा जन्य है भारत के दृष्टिकोण की उपज है स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस ढंग से हमें नेतृत्व मिला, उसकी उपज है । और आज की स्थिति की उपज है । मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र हूं क्योंकि गत कुछ वर्षों में मैं देश के विदेश मंत्री के रूप में देश के भीतर तथा विदेश में इस नीति का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं और कई बार मैंने इसका समर्थन किया है । व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि चाहे कोई भी व्यक्ति, भारत के विदेश विभाग का प्रभारी होता या कोई भी दल भारत की वैदेशिक नीति का प्रभारी होता, वह इस नीति से अधिक दूर नहीं हो सकता था । हो सकता है किन्हीं बातों पर अधिक या कम जोर दिया जाता पर, जैसा कि मैं बता चुका हूं यह नीति भारत की भावनाओं की प्रति निधि है ।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि विदेशों में कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि यह नीति अचानक कैसे पैदा हो गयी है और सिर्फ एक नीति है और वे इस नीति को, जैसा कि श्री जयपाल सिंह ने कहा, अनिश्चित नीति मानते हैं । मैं नहीं समझता कि उनके मन में क्या धारणा है इस संबंध में अनिश्चित होने या कभी इस व्यक्ति या देश को तो कभी उस व्यक्ति या उस देश को अपनी तरफ़ मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है । सच पूछा जाये तो हम हमेशा और हर देश के साथ मित्रता करने को तैयार है । हम सब के साथ मित्रता रखना चाहते हैं । हम चाहे किसी देश से सहमत भले न हों, पर हम किसी की निन्दा या बुराई नहीं करते, फिर भी, हम अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से देश एक-दूसरे की बुराई करते हैं और कटुता फैलाते हैं । आप किसी की निन्दा करके उसको अपनी बात समझने के लिये राज़ी नहीं कर सकते ।

अत : हम हमेशा इस बात से बचते हैं । संसार में ऐसी बहुत सी बातें हो रहीं हैं जिन्हें हम बहुत नापसंद करते हैं । उनके संबंध में हम केवल सामान्य विचार प्रकट कर देते हैं ; इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते । यदि उन बातों का हम पर असर पड़ता है तो हम उनके बारे में अवश्य बात करते हैं । अन्यथा हम ऐसी बातों के संबंध में दखल नहीं देते जिनका हम पर या विश्व शान्ति पर कोई असर नहीं पड़ता । मैं समझता हूं कि शायद श्री जयपाल सिंह को छोड़कर अन्य किसी भी माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई संदेह नहीं है ।

हमारी नीति को अनिश्चित कहने का जो दृष्टिकोण है उसे सही नहीं कहा जा सकता । कहा गया कि आज के संसार में हमारे सामने केवल दो मार्ग हैं । यदि आप मानते हैं कि केवल दो मार्ग हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप को तनाव में हिस्सा लेना होगा या सैनिक गुटों का सदस्य बनना होगा । पर मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं । बड़े-बड़े देशों के सम्मान को ध्यान में रखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह आवश्यक है कि जिन देशों के पास बड़ी सैनिक शक्ति है या जिनके पास सम्पत्ति की महान शक्ति है वे हमेशा सही काम करते हों या उनका दृष्टिकोण हमेशा सही हो ? क्या अणुबमों का स्वामी होने मे कोई देश---अणबमों के न रखने वाले देशों की तुलना में---अधिक

बुद्धिमान, योग्य या शान्तिप्रिय हो जाता है ? यह एक साधारण सा तथ्य है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है । अधिक सैनिक शक्ति वाला देश अधिक उपयुक्त कार्य ही करेगा—ऐसी बात जरूरी नहीं । मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं पर देश के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि देश के व्यक्ति के नाते भी मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि अपने स्वतंत्र निर्णय का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दूं । यही हमारी नीति का मूलमंत्र है ।

श्री डांगे ने कहा, "आप सबके मित्र हैं, पर कभी कभी आप कुछ लोगों की तुलना में अन्य लोगों के अधिक अच्छे मित्र बन जाते हैं ।" इस बात को सुनकर मुझे वह बात याद आती है, "सब व्यक्ति समान हैं,पर कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक समान होते हैं ।" यह सच है ; हो सकता है कि कभी कभी हमारे कार्यों या हमारी बातों से कुछ व्यक्तियों को, जो इन बातों के संबंध में कुछ विशेष मत रखते हैं, ऐसा लगता हो कि हम किसी एक पक्ष की ओर, दूसरे पक्ष की तुलना में, अधिक झके हुये हैं । सच तो यह है कि हम जो ठीक समझते हैं उसी मार्ग पर चलते हैं और जब भी कभी अवसर आता है हम सब के साथ मित्रता करने को तैयार रहते हैं । पर यह सच है कि कुछ मामलों में—उदाहरण के लिए आर्थिक मामलों में तथा कुछ अन्य मामलों में जिनका उल्लेख मैं करूंगा—हमारे कुछ पुराने संबंध हैं; जिनका हम पालन करते हैं । भूतकाल में—चाहे ठीक हो या गलत—व्यापारिक तथा वाणिज्यिक मामलों में हमारी एक विशेष दिशा रही है। अभी हमने उस दिशा को छोड़ा नहीं है । हमने कुछ नये मार्गों को भी विकसित किया है पर हमने अपने पुराने संबंधों, पुराने व्यापारिक मार्गों आदि को भी नहीं छोड़ा है ; अत : हो सकता है इसी कारण कुछ लोगों को ऐसा भास हुआ हो कि हम किसी पक्ष विशेष की ओर झुके हुये हैं । श्री डांगे ने इस बात पर आपत्ति की कि हमारे सेनाध्यक्ष ब्रिटेन के कुछ सैनिक पदाधिकारियों से मिलने गये । शायद वह सोचते हों कि हम राष्ट्र मंडल के कुछ देशों से कुछ सैनिक गठ बन्धन कर रहे हैं । उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति की कि हमारी नौसेना ब्रिटिश नौ सेवा के साथ बनावटी लड़ाइयों में भाग ले ।

मैं समझता हूं कि ऐसी आपत्ति करने में भी उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि उनको कुछ गलत फहमी है । हम अपने सेनाध्यक्ष को संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिये यदा-कदा लंदन भेजते हैं । हम उनको इस लिए भेजते हैं कि आधुनिकतम उपायों का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का इससे अच्छा अवसर मिलता है । मैं यह नहीं कहता कि इस संबंध में ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता । पर हम इस प्रकार अन्य देशों के विरुद्ध किसी रक्षा नीति की बात नहीं करते ।

उदाहरण के लिए, जब भी कभी राष्ट्र-मंडल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन होता है मैं उसमें भाग लेता हूं । साथ ही प्रतिरक्षा संबंधी मामलों पर भी बैठकें होती हैं ; उनमें हम भाग नहीं लेते । मैं समझता हूं कि लंका भी ऐसी बैठकों में भाग नहीं लेता । हम इन बैठकों में इसलिए भाग नहीं लेते कि ब्रिटेन या राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के प्रतिरक्षा उपायों या युद्ध तथा शान्ति उपायों से हमारा कोई संबंध नहीं है ।

पर किसी अभ्यास के देखने के लिए जाना तो एक बिल्कुल भिन्न बात है । वास्तव में अभ्यास में युद्ध के नवीनतम उपायों के संबंध में चर्चा की जाती है और यह भी चर्चा की जाती है कि पुराने उपायों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है आदि । हमारे देश में इस प्रकार की चर्चा के कोई अधिक अवसर नहीं मिलते । जब भी कभी ऐसा कोई अवसर हमारे सामने आता है—यद्यपि ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हैं—हम राष्ट्र मंडलीय देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में भी जाकर उसका लाभ उठाते हैं । मुख्य बात यह है कि हमारे सामने जब ऐसा अवसर आता है तो हम उसका लाभ उठाते ।

यही बात कल मैं ने पाकिस्तान के प्रसंग में भी कही थी। मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के घरेलू मामलों की आलोचना नहीं करना चाहता। हर देश की जनता को अधिकार है कि वह जैसी चाहे वैसी सरकार बनाये और इस बात से हमारा कोई संबंध नहीं जब तक कि वह सरकार हमें धमकी नहीं देती या मान्य अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई काम नहीं करती जैसा कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार कर रही है। यह एक भिन्न बात है। पर मेरे लिए चिन्ता की बात यह है कि लोक तंत्रात्मक दृष्टिकोण तथा लोक तंत्रात्मक परिपाटियां धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मैं ने यह बात देखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी प्रतिक्रिया अन्य लोगों पर क्या हुई है। जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में हुई घटनाओं के संबंध में अन्य देशों का मत है कि जो कुछ भी हुआ है वह लोकतंत्र से कोई भिन्न नहीं है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। स्वयं को धोका देने का इससे बड़ा क्या प्रयत्न हो सकता है? और इससे पता लगता है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति जो तनाव की स्थिति से पैदा हो रही है, हमें कहां तक ले जाती है।

आज संसार को अपने किसी आदर्श या सिद्धान्त के प्रति कोई लगाव नहीं है। केवल यही बात देखी जाती है कि इस शीत युद्ध में अमक देश हमारे साथ है या नहीं। यही सबसे बड़ी कसौटी बना ली गयी है।

आप गोआ और पुर्तगाल के मामले को लीजिये। पुर्तगाल में कैसी सरकार हो इस से हमारा या हमारी इस सभा को कोई मतलब नहीं पर प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुर्तगाल में प्राधिकारीवादी सरकार या एक प्रकार की तानाशाही सरकार है। पर पुर्तगाल को शान्ति का स्तम्भ तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों का समर्थक कहा जाता है। ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती। इस से पता लगता है कि—चाहे साम्यवादी देश हों या गैर-साम्यवादी देश हों—हम सब लोग शब्दों का प्रयोग उन अर्थों में करते हैं जिन का वह अर्थ किसी भी शब्द कोष में नहीं होता। हम किसी भी समस्या के प्रसंग में शब्दों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करते हैं कि वह हमारे दृष्टिकोण या रवैये के अनुकल हों। गोआ के संबंध में हम सभी लोग जानते हैं। वहां क्या हो रहा है यह भी हम जानते हैं। वहां कोई नागरिक स्वतन्त्रता नहीं है। आज महत्वपूर्ण लोग महत्वपूर्ण देश गोआ या पुर्तगाल के संबंध में कुछ भी नहीं कहते। भूतकाल में भी उन्होंने जो कुछ कहा है उस से पुर्तगाल को गोआ के मामले में प्रोत्साहन ही मिला है। अभी कुछ समय पूर्व हमने पुर्तगाल के चुनाव की बात सुनी थी। अनेक देशों के चुनावों के बारे में हम पढ़ते हैं—तरह तरह की आलोचनायें; पर पुर्तगाल के चुनावों के संबंध में शायद कहीं कुछ कुछ समाचार आये हों अन्यथा सारे चुनाव का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ।

अतः आज के युग में किसी देश के सामने उस की नीति, कार्यक्रम या उद्देश्यों का प्रश्न नहीं है: उस के सामने एक ही प्रश्न है कि आज के शीत युद्ध के संघर्ष में कौन सा देश किस पक्ष में है, क्या वह हमारे साथ है या अन्य लोगों के साथ।

आज एक बात को लोग भूल जाते हैं कि यह हमेशा जरूरी नहीं कि इन मामलों में देश की जनता, चाहे देश की बड़ी समस्यायें हों या छोटी, सरकार के साथ है। चाहे युद्ध का मामला हो या शान्ति का जनता की राय का तो महत्व है ही। युद्ध के मामले में तो जनता की राय का और भी महत्व है। आज संसार के देश तरह तरह की संधियां या करार करते हैं पर वे भूल जाते हैं कि उस करार को जनता का अनुमोदन प्राप्त है या नहीं या कम से कम यह भी नहीं देखते कि जनता उस सन्धि से असन्तुष्ट तो नहीं है। इस प्रकार ये गलत फहमियां चलती हैं।

इस चीज का एक बड़ा उदाहरण ईराक में, जो कि बगदाद करार का एक जन्मदाता देश है, हुई क्रान्ति है। इस करार का नाम ही देश की राजधानी के नाम पर रखा गया था। एकाएक देश में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्रान्ति हुई क्योंकि ये सब करार कृत्रिम था और इन करारों को करने वाले कुछ बड़े पदाधिकारी थे जो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। अतः उसी देश से बगदाद करार की अट्टालिका ढह गई। जिस देश ने इस करार को आरम्भ किया था अब या तो इस करार का नाम भाषणों में आता है या लेखों में और शायद कहीं नहीं।

आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है अतः इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति गलतफहमी का शिकार हो जाता है। मैं यह नहीं दावा करता कि मेरे अन्दर कोई अद्भुत विद्वता है या विशेष ज्ञान है पर मैं कोशिश करता हूं कि इन गलत-फहमियों में न फंसूं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि भविष्य क्या होगा मैं चाहूंगा कि हम भारत के लोग पथ भ्रष्ट न हों और भारत तथा विश्व की शान्ति के लिए प्रयत्नशील रहें।

वास्तव में हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं और उदाहरण के लिये हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान को लीजिये हम ने उस के साथ हमेशा न्यायपूर्ण रवैया ही अपनाने की कोशिश की है। मैं सभा को बता चुका हूं कि जहां हमारी गलतियां हुई हैं हमने उन्हें स्वीकार किया है। मैं ने कल बताया था कि सीमा विवादों के संबंध में कभी कभी हमारी गलती भी होती है और कभी कभी हम ऐसी बातों पर जोर देते हैं कि जिन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिये। मैं बता चुका हूं कि अपने व्यवहार में हम ने पाकिस्तान के साथ सदा न्याय करने का प्रयत्न किया है—मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा व्यवहार सदा ही समुचित रहा है क्योंकि ऐसे मामलों में जिन में किसी के हितों को ठेस पहुंचती है कोई भी व्यक्ति पूर्णतः न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता—फिर भी उस पक्ष की ओर से कोई समुचित परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। हम जो कुछ प्रयत्न करते हैं वह केवल इसलिये नहीं करते हैं कि हम उन के व्यवहार में परिवर्तन की प्रत्याशा रखते हैं, उन के व्यवहार से कोई परिवर्तन हो न या न हो मैं समझता हूं कि हमें सही प्रकार से व्यवहार करते जाना चाहिये। यह मार्ग केवल सही ही नहीं है बल्कि इसी से हमें शक्ति भी मिलती है चाहे यह पाकिस्तान का मामला हो या दक्षिण अफ्रीका का या अन्य किसी देश का।

कुछ माननीय सदस्य मुझ से पूछते हैं कि आप शक्ति से काम क्यों नहीं लेते। डा० सुब्बारायन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और लंका के मामले में हमें यह करना चाहिये और वह करना चाहिये। मैं पूछता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा करने की बात कहां और कैसे पैदा होती है। क्या मैं दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दूं कदापि नहीं। मैं इस मामले को राष्ट्र संघ में हीं ले जा सकता हूं या अपने विचार प्रकट कर सकता हूं। अतः उन उत्तेजित बातों से क्या लाभ जिन्हें आप कर नहीं सकते। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है और अन्त में ये बातें हमारी कमजोरी का लक्षण बन जायेंगी।

जहां तक लंका का प्रश्न है, लंका उस श्रणी में नहीं है वह एक मित्र देश है। यह हमारा पड़ौसी है और संस्कृति तथा अन्य बातों में हमारा उसका काफी सामीप्य है। हम उस से मित्रता रखना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि लंका के लोग भी हम से मित्रता रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यह कुछ ऐसी समस्या चली आ रही है जो संसार की सद्भावना होने के बाद भी आसानी से हल नहीं हो रही है। मूल रूप से इस समस्या को केवल लंका या भारत की समस्या नहीं बल्कि मानवता की समस्या माना जाना चाहिये क्योंकि इस का प्रभाव बहुत से मनुष्यों पर पड़ेगा। मैं इस मामले में कोई तर्क नहीं दे रहा हूं पर मैं पूछता हूं कि मुझ से यह कहने से क्या लाभ कि, "जा कर इस समस्या को तुरन्त हल करो।" मैं तुरन्त इस समस्या को कैसे हल कर सकता हूं क्या मैं लंका को धमकी दे कर उन लोगों की तथा अन्य लोगों की जिन्दगी को और भी दुःखद बना दूं। हो सकता है कि, यदि हम शक्ति का प्रदर्शन करें तो इस से कुछ लोगों की महत्वकांक्षा को सन्तुष्टि मिले। सामान्यतया हम किसी को धमकी नहीं

देते । अन्त में हमें इस बात पर इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये । पाकिस्तान के मामले और सीमा विवाद के मामले को हमें इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये ।

यह ठीक है, जैसा आचार्य कृपालानी ने कल कहा, कि ये सीमा विवाद तो चलते रहेंगे । जब तक भारत तथा पाकिस्तान के बीच मतभेद चलते रहेंगे उन का प्रभाव सीमा पर पड़ेगा और झगड़े होते रहेंगे । हो सकता है इन में कभी कुछ कमी हो जाय पर यह बातें होती रहेंगी क्योंकि भारत तथा पाकिस्तान के बुनियादी सम्बन्ध ही ठीक नहीं हैं । इस बात का कभी कभी अच्छे लोग और निश्चित रूप से बुरे लोग—दोनों तरफ के बुरे लोग—फायदा उठाते हैं पर खास तौर से पाकिस्तान की तरफ के बुरे लोग उठाते हैं । वहां के बुरे लोगों को—और शायद कभी कभी हमारी तरफ भी—ऐसा करने से रोका नहीं जाता क्योंकि उस में राष्ट्रीय गर्व का प्रश्न उठ जाता है कि हमें अपने लोगों की तरफदारी करनी ही चाहिये ।

सीमा के मामलों के संबन्ध में श्री जयपाल सिंह ने चिटगांव पहाड़ी के खण्ड की बात कही । इस संम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब मैंने शुरू में रेडकिलफ पंचाट को पढ़ा, जिसमें चिटगांव के पहाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि किस सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने ऐसा किया था । पर वह तो एक स्पष्ट निर्णय था उसमें स्पष्टीकरण या व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं थी । हम क्या कर सकते थे ? क्योंकि विभाजन के बाद हमने रेडक्लिफ को मध्यस्थ निर्णायक मान लिया था । यह निर्णय हमारे देश, हमारे हितों तथा हमारी भावनाओं के चाहे कितना भी विरूद्ध क्यों न रहा हो पर हम अपने शब्दों से हट नहीं सकते थे । मुझे उसे स्वीकार करना पड़ा यद्यपि हम समझते थे कि यह बिल्कुल अनुचित है और किसी भी सिद्धान्त के आधार पर नहीं है ।

समय समय पर श्री जयपाल सिंह इस मामले को उठाते रहे हैं । मैं उन की भावनाओं को समझता हूं और उन का समर्थन भी करता हूं । पर मैं क्या करूं ? मैं रेडक्लिफ पंचाट का, जिस के द्वारा उस भाग को पाकिस्तान को दे दिया गया है, उल्लंघन नहीं कर सकता । वैसे यदि समुचित वातावरण हो तो हम पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं । पर सभा स्वयं समझ सकती है कि पाकिस्तान हमें क्या उत्तर देगा जब कि रेडक्लिफ पंचाट ने स्पष्ट शब्दों में यह भाग पाकिस्तान को दे दिया है । जब पाकिस्तान के साथ छोटी-छोटी बातों पर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं । तो इस मामले को उठाने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता ।

मैं नहीं समझता कि इस मामले को हम राष्ट्र संघ में भी कैसे उठा सकते हैं । इस का तो एक स्पष्ट उत्तर है कि रेडक्लिफ पंचाट द्वारा यह निर्णय हुआ है । अतः मैं या श्री जयपाल सिंह इस संबंध मे चाहे कितने भी चिन्तित हों पर मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता ।

श्री प्रेम जी आसर ने ध्यान दिलाने वाली एक सूचना दी है । सूचना में उन्हों ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि निर्धारित तिथि तक बसतियों का विनिमय बिल्कुल असंभव है । इस संबंध में कुछ गलत फहमी है । जहां तक कूच-बिहार बसतियों का संबंध है उन के संबंध में कोई अन्तिम तिथि नहीं है । इस संबंध में कोई अन्तिम तिथि हो भी नहीं सकती क्योंकि इन बस्तियों का विनिमय तभी हो सकेगा जब संसद् इस संबंध में कानून पारित कर लेगी । इस संबंध में यह प्रश्न था कि इस काम को कैसे किया जाये । यह स्पष्ट था कि इस के लिये संसद् को विधान बनाना होगा । कुछ लोगों ने कहा कि इसके लिये संविधान में भी संशोधन करना होगा। बड़े बड़े विधि विशेषज्ञों की राय ली गई और वे सब इस बात से सहमत हैं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

नहीं है पर संसद् द्वारा विधान पारित करना आवश्यक है। हम सभा के सामने किसी समय इस संबंध में विधान लायेंगे तब सभा को उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा। अतः इस संबंध में निश्चित तिथि का कोई प्रश्न नहीं है।

एक निश्चित तिथि अन्य विनियमों के लिये निर्धारित की गई थी। सीमा निर्धारण तथा समझौते के संबंध में बाद में कोई गलतफहमी न पैदा हो इसलिये कुछ बाद की तिथि निर्धारित की गई थी। सीमा निर्धारण का कार्य आरम्भ कर दिया गया था पर बाद में उसे रोक दिया गया। हम समझते हैं कि उस में पाकिस्तान की गलती थी। कुछ भी हो, पर वह काम रोक दिया गया। अब, फिर वह काम शुरू किया गया है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार से बातचीत की और वह इस काम को शुरू करने के लिये राजी हो गयी है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उन्हें सुझाव दिया है कि सीमा निर्धारण के काम को शीघ्रता से करने के लिये एक से अधिक सर्वेक्षण दल काम करने चाहियें। पर मैं समझता हूं कि अभी हमें इस का कोई उत्तर नहीं मिला है। अभी एक ही सर्वेक्षण दल काम कर रहा है।

बेरूबारी संघ के संबंध में कल सभा में बहुत कुछ बातें कही गयीं। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि बेरूबारी संघ का विवाद कब पैदा हुआ। रेडक्लिफ पंचाट में बेरूबारी संघ की सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। पर जब बाद में जस्टिस बागे उस समय भी यह मामला उन के सामने नहीं रखा गया। बागे ने अपना काम १९५० में समाप्त किया और द्वितीय बागे पंचाट पर विचार करते समय नयी कठिनाइयां पैदा हुई और दो व्याख्यायें की गयीं।

आज से लगभग ६ या ७ वर्ष पूर्व १९५२ में बेरुबारी संघ का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना। जहां तक उस पर कब्जे का प्रश्न है स्वतन्त्रता के बाद से यह हमारे ही कब्जे में है। यद्यपि इस पर हमारा कब्जा है पर पाकिस्तान रेडक्लिफ पंचाट की अपनी व्याख्या के आधार पर सिलहट–करीमगंज के आसपास के एक बहुत बड़े भाग का दावा करता था। आश्चर्य की बात है कि रेडक्लिफ पंचाट ने व्याख्या सम्बन्धी कितनी कठिनाइयां हमारे सामने उत्पन्न कर दी हैं। पाकिस्तान एक बड़े क्षेत्र पर दावा करता था और जस्टिस बागे ने एक भारतीय न्यायाधीश और एक पाकिस्तानी न्यायाधीश के साथ इस मामले पर विचार किया। करीमगंज के आसपास के बड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में जस्टिस बागे का और भारतीय न्यायाधीश का निर्णय हमारे पक्ष में रहा। पर बागे पंचाट के बाद फिर बागे तथा रेडक्लिफ ने जो कहा था, उसकी व्याख्या सम्बन्धी कठिनाइयां पैदा हो गयीं। कठिनाई इस कारण पैदा हुई कि पहले पहल उन्होंने एक नियम बनाया था कि हम जिलों या तालुकों या प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमा को स्वीकार करेंगे। देश के भीतर के प्रशासनिक क्षेत्र का प्रश्न दूसरा है पर जब अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का प्रश्न आता है तो उसमें कठिनाई पैदा होती है। कहीं कहीं नदी के उस पार के भाग, का उल्लेख किया गया है, तो उसके साथ एक ब्यौरेवार नकशा भी संलग्न किया गया है पर वह नकशा दिये गये ब्यौरे के अनुसार नहीं है। कहीं उसमें नदी का उल्लेख किया गया है पर यह स्पष्ट नहीं है कि किस नदी से उनका अभिप्राय है।

मेरा अभिप्राय यह है कि बागे पंचाट के बाद कई बातों के सम्बन्ध में व्याख्या सम्बन्धी कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं। हम व्याख्या कुछ और मानते हैं और पाकिस्तान कुछ दूसरी व्याख्या मानता है। १९५२ के बाद, बागे पंचाट के बाद पाकिस्तान ने बेरुबारी संघ का प्रश्न उठाया। हमने उनके दावे का प्रतिरोध किया और हमने कहा कि यह पूरा संघ भारत को दिया गया है। यह विवाद चलता रहा है। यह कोई नया विवाद नहीं है। बाद में इस मामले पर प्रधान मंत्रियों की बैठक में सरकारी स्तर पर सचिवों तथा राजस्व पदाधिकारियों के परामर्श से विचार किया गया। वास्तव में सचिवों तथा

राजस्व पदाधिकारियों के स्तर पर यह समझौता हुआ था और उसी के आधार पर प्रधान मन्त्रियों ने करार सम्पन्न किया। करार का एक भाग यह था कि बेरुबारी संघ को, जिसे भारत व पाकिस्तान दोनों कहते हैं कि वह पूर्णतः उनके हिस्से में है, दो भागों में बांट दिया जाना चाहिए और उत्तरी भाग को भारत के साथ रहने दिया जाये और दक्षिणी भाग पाकिस्तान ले ले। मैं इस मामले के गुणों तथा दोषों की चर्चा नहीं करूंगा। इस सम्बन्ध में बड़े बड़े नक्शे व चार्ट आदि बनाये गये जिसको समझना बड़ा कठिन था। मैं सभा को केवल यह बताना चाहता हूं कि यह सब किस प्रकार किया गया। इस प्रकार हमने पश्चिमी बंगाल के राजस्व पदाधिकारियों की राय स्वीकार कर ली कि क्या किया जाना चाहिए।

मैं बताना चाहता हूं कि विवादों तथा व्याख्याओं के सम्बन्ध में अनेक बातें ऐसी थीं जिनके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता था कि हमारा पक्ष मजबूत है। कुछ बातें ऐसी भी थीं जिनके बारे में कहा जा सकता था कि हमारा पक्ष मजबूत नहीं है। स्वाभाविक ही है कि जब इतने सारे मामले होते हैं तो कुछ बातें हमारे पक्ष में होती हैं और कुछ हमारे विपक्ष में, अतः हमने इन बातों को ध्यान में रख कर "आदान-प्रदान" का करार कर लिया।

मित्र श्री जयपालसिंह तथा अन्य सदस्यों ने अनेक बातें कहीं कि इन मामलों में हम कमजोरी से काम लेते हैं और हमें अपनी ही गलती से हानि उठानी पड़ती है और वे सब बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं, जिन्हें पाकिस्तान कहता है। पर यह बात सही नहीं है। वर्तमान मामले में भी, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि 'नेहरू-नून' करार के परिणामस्वरूप भारत को कुल ४२·४ वर्ग मील का क्षेत्र मिला है जबकि पाकिस्तान को कुल ४·८ वर्गमील का क्षेत्र मिला। विवादग्रस्त कुल क्षेत्र ४७·२ वर्ग-मील था। इसमें से ४२·४ वर्गमील भारत को मिल रहा है। अतः यह कहना गलत है कि पाकिस्तान जो भी मांग रहा है हम उसे देते जा रहे हैं। बेरुबारी संघ का कुल क्षेत्र ८·७५ वर्गमील है और लगभग आधा भाग भारत के क्षेत्र में आ रहा है और लगभग आधा पाकिस्तान के पास जा रहा है।

दिल्ली का भी उल्लेख किया गया। यह सारा क्षेत्र ३४.८६ मील का है और भारत से मिलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि यह भाग भारत के पास जाना चाहिये।

†**श्री रंगा** : जन-संख्या का क्या होगा ? कितने लोग किस भाग में जायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बेरुबारी संघ की कुल जन-संख्या १०,००० से १२,००० तक है। करीब आधी जन-संख्या पाकिस्तान में जायेगी और आधी भारत में। मैं दोनों भागों की जनसंख्या के घनत्व के विषय में नहीं जानता। लगभग ५,००० या ६,००० व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के हाथ में इस वक्त जो इलाका है, उसमें से कितना जायेगा ? इस समय भारत के कब्जे में कितना इलाका है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ठीक ठीक आंकड़े मैं नहीं दे सकता। ऊपर जो मैंने बताया है उसमें कुछ ऐसा भी भाग है जो इस समय भारत के कब्जे में है। यदि आप इसके ब्यौरे में जायेंगे तो आप देखेंगे कि यह बड़ा जटिल मामला है क्योंकि हमारे विशेषज्ञ राजस्व अभिलेखों तथा नकशों आदि में महीने उलझे रहने के बाद, इस निर्णय पर पहुंचे कि केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों के निवासियों के दृष्टिकोण से भी इन विवादों का इस समझौते के अनुसार निपटाया जाना ठीक होगा और हमने उसे स्वीकार कर लिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आप चाहे कुछ भी निर्णय करें, पर कुछ व्यक्तियों को तो कठिनाई तथा असुविधा होती ही । हमने इस बात का ध्यान रखा है कि लोगों को कम से कम कठिनाई हो।

तुकेग्राम की बात लीजिए। स्वतन्त्रता के बाद से यह भारत में ही रहा है। इसका झगड़ा इसी साल पाकिस्तान ने शुरू किया है। एक प्रकार से तुकेग्राम एक बड़े क्षेत्र का भाग है जिसके सम्बन्ध में विवाद चला आ रहा है। पर तुकेग्राम खास के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं था और हम समझते हैं कि यह हमारा राज्य क्षेत्र है और निस्सन्देह है भी। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस सभा में हमारी ओर से एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये वक्तव्य से कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है । आज हमारे उपमंत्री ने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उस सभा में एक वक्तव्य दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि इन मामलों को हल करने के लिए एक संयुक्त न्यायिक बोर्ड गठित किया जाना चाहिए और उस बोर्ड का सभापति न भारतीय हो और न पाकिस्तानी बल्कि कोई बाहर का व्यक्ति। मैं समझता हूं कि शायद उनका सुझाव था कि सभापति राष्ट्रमंडल के किसी देश का कोई व्यक्ति हो। इस प्रकार की प्रस्थापना बिल्कुल गलत है और हम उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि इसके लिए कोई न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये और कुछ मामले उसे सौंप दिये जायें क्योंकि इन मामलों को निबटाने के लिए करार या न्यायाधिकरण ही उचित उपाय हो सकते हैं।

हमने श्री फीरोज खां नून को कुछ अन्य मामलों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य ने उनके उस वक्तव्य में से कुछ पढ़ा भी था जो उन्होंने यहां से वापस जाने के बाद कराची में दिया था। इन मामलों को सुलझाने के लिए हमारे सामने अन्य कोई मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता। हमारा दुर्भाग्य है कि रेडक्लिफ तथा बाग्रे न्यायाधिकरणों के बाद भी मामले अभी इतने अस्पष्ट हैं।

एक माननीय सदस्य ने, सम्भवतः श्री डांगे ने कहा कि हमारे हथियारों आदि की व्यवस्था के लिए यह बात सुरक्षित नहीं है कि हम किसी एक खास शक्ति के साथ ही सम्बन्ध रखें। सामान्यतया हम उनकी इस बात से सहमत हैं। हमें किसी भी बड़ी शक्ति के साथ बंधकर नहीं रहना चाहिये। कुछ सीमा तक यह काम बहुत कठिन होता है कि हम संसार के सब देशों से इसके लिये व्यवस्था करें। इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर यह है कि प्रत्येक देश को अपनी जरूरत की हर चीज को स्वयं तैयार करना चाहिए—ऐसे कुछ विशेष चीजों को छोड़ कर जिन्हें हम इधर-उधर से खरीद लें। अर्थात् हमें अपना प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाना चाहिए। हम अपनी क्षमता के अनुसार इस बात की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई आसान बात नहीं है और हम—चाहे कितनी भी वस्तुयें पैदा करें—गवेषणा तथा प्रगति के लिए आवश्यक सभी सामग्री देश में नहीं पैदा कर सकते जो बड़े बड़े देशों के पास है। हम ऐसा करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं सकते। इस सम्बन्ध में हमारा उद्देश्य कोई प्रतिद्वन्द्विता करना नहीं है हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी सामान्य प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायें।

अन्त में, मैं आचार्य कृपलानी द्वारा कही गयी कुछ बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिरक्षा विभाग को ठेकों आदि के सम्बन्ध में संदेहों से ऊपर रहना चाहिये, मैं उनकी बात से सहमत हूं। केवल प्रतिरक्षा विभाग ही नहीं अन्य विभागों को भी ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि सरकार का हर विभाग, हमारे देश में या अन्य कहीं, शतप्रतिशत पूर्ण और ईमानदार है। कहीं कुछ गड़बड़ है कहीं कुछ। पर मैं समझता हूं कि सरकारी-विभागों के सम्बन्ध में तथाकथित भ्रष्टाचार आदि की बात कभी कभी बहुत अतिरेकपूर्ण होती है।

आज हमारी जो सरकार है वह स्वतन्त्रता से पहले के दिनों की तुलना में लगभग १०० गुने बड़े क्षेत्र में कार्य कर रही है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और नये नये कार्य क्षेत्र उसमें सम्मिलित होते जा रहे हैं। यदि मैं यह कहूं कि सरकार का प्रत्येक विभाग प्रत्येक मंत्रालय स्वयं एक साम्राज्य है तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी। क्षेत्र के इतने बड़े होने के कारण ही हमारे सामने कठिन समस्यायें पैदा होती हैं और हम अधिक योग्य सरकार, अधिक अर्थ-व्यवस्थित सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आशातीत प्रगति हो रही है।

आज सरकारी विभागों पर अनेक लोगों की आंखें लगी हुई हैं। इस सभा और उस सभा के अधिकांश सदस्य उन पर निगरानी रखते हैं। यदि कहीं कोई बात होती है तो झट उसे पकड़ लेते हैं और ठीक है उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। उनकी ओर बहुत से लोग ध्यान लगाये हुये हैं। पहले उन पर कोई निगरानी नहीं रखता था। हमारे समाचार पत्र भी आज सरकारी मामलों में बड़ी रुचि रखते हैं और जहां भी जरा कुछ बात मिली उसे सामने रख देते हैं। अतः अनेक लोग सावधानी पूर्वक सतर्क रहते हैं और जहां भी कोई छोटी से छोटी बात हुई वह प्रश्नों द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा या अन्य किसी प्रकार प्रकाश में आ जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार कितने बड़े-बड़े विभाग हैं। यदि आप को कोई त्रुटि मिलती है या कोई गलत बात हो जाती है तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर सरकार का कार्य-क्षेत्र कितना बढ़ गया है। केवल एक, दो या दस मामलों को लेकर यह समझना गलत है कि बाकी सारी चीजें भी गलत हैं। हमें इस दृष्टिकोण तथा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

मेरे मित्र आचार्य कृपालानी ने प्रतिरक्षा का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा का विभाग सब से कठिन विभाग है क्योंकि उसे विदेशी सार्थों के साथ सम्बन्ध रखना पड़ता है। यदि हम स्वयं अपना सारा सामान तैयार करने लग जायें तो हमारा प्रतिरक्षा विभाग अन्य विभागों जैसा हो जायेगा। बाहर की सार्थों के साथ हथियारों की खरीद का प्रबन्ध करने के समान अन्य कोई कार्य कठिन नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई प्रतिद्वन्दिता नहीं है। इन चीजों की खरीद फरोख्त सार्वजनिक रूप में नहीं की जाती। वे अपने मूल्य लगभग निर्धारित कर देते हैं और हम उन से तर्क करते हैं और कभी उन्हें स्वीकार करते हैं और कभी नहीं। अतः प्रतिरक्षा का काम बहुत खतरनाक है और सभी देशों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सौदों में ही गलतियां होती हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए।

दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद का प्रथम वर्ष अर्थात् १९४८ हमारे लिये बहुत खतरनाक समय था। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ही काश्मीर की समस्या पैदा हो गयी और १९४८ में कोई नहीं जानता था कि किस समय हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो जाये। उस समय जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी उनके सामने बड़ी कठिनाई थी—देश की सुरक्षा की, यदि कहीं युद्ध शुरू हो जाये। उसके कुछ समय बाद हैदराबाद की समस्या आई। खैर वह तो एक छोटी सी समस्या निकली। पर हम ने उस समस्या को इन बातों के प्रसंग से देखा कि काश्मीर में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और विभाजन के तुरन्त बाद हमारे पास कितने थोड़े हथियार थे तथा वे कैसी स्थिति में थे। हमें हथियार खरीदने थे, अतः कुछ सौदे किये गये।

पहले सौदे इण्डिया हाउस के नये विभाग द्वारा किये गये। उस समय के पूर्व सभी सौदे इण्डिया आफिस अर्थात् ब्रिटिश अभिकरण द्वारा किये जाते थे। अतः आरम्भ के सौदे उस समय किये गये थे जब कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी और हमें बहुत ही जल्दी थी क्योंकि इस बात का भय था कि किसी भी समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध आरम्भ हो सकता है। अतः हमारे सामने ऐसा करने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के लिए मजबूरी थी । तो उस समय कुछ ऐसे सौदे भी हो गये जिन की कठिनाई अब भी चल रही है जैसे जीपों का मामला आदि । अतः आप परिस्थितियों पर विचार करें ।

हम ने इस मामले में बहुत अच्छी तरह छानबीन करी थी और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं कह सकता कि इंगलैंड में कुछ व्यक्तियों ने या कहीं और कुछ व्यक्तियों ने रुपया नहीं खाया है; कुछ लोगों ने पैसा खाया जरूर है क्योंकि हमारे पास से पैसा चला गया है फिर भी मैं यही कहूंगा कि इण्डिया हाउस को किसी अन्य उद्देश्य से नहीं बल्कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में इन शर्तों पर करार करना पड़ा जिन पर वे आम तौर से करार नहीं करते या उन्हें कुछ ऐसे शर्तों के साथ करार करना पड़ा जिनके साथ शायद वे करार नहीं करते । सभी बात पर विचार करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य था कि हम ऐसी परिस्थितियों में फंस गये; वैसे इसमें किसी की गलती नहीं थी ।

आप देखें कि प्रतिरक्षा विभाग बाहर से कितने बड़े पैमाने पर सामान खरीदता है । इतने बड़े स्तर पर खरीद के मामले में आप बतायें कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर सभा में बात उठाई गयी है । हो सकता है कुछ गड़बड़ियों का पता न लगा हो । यह संभव है । यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि कोई गड़बड़ी की बात पकड़ी नहीं जा सकी इसका मतलब है कि वह ठीक थीं । तो मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यदि आप सारी बातों को देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि हमारे सौदे सावधानीपूर्वक तथा ईमानदारी से होते आये हैं । कभी-कभी कुछ गलती हो गयी है । इस समय भी हम एक ऐसे मामले की छानबीन कर रहे हैं जो ४ या ५ वर्ष पुराना है । इस सम्बन्ध में समय-समय पर हम ने कुछ बड़े-बड़े पदाधिकारियों को पदच्युत करने का कदम भी उठाया है । हम जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं । आप इस पहलू पर ध्यान दें कि हमें सावधान व सतर्क रहना चाहिए और हम ने जब भी आवश्यकता पड़ी है कठोर कार्यवाही भी की है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : कठोर कार्यवाही ही नहीं की गयी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि श्री त्यागी की बात ठीक हो पर जब भी आवश्यकता हुई है या दोषसिद्धि हुई है हम बराबर कड़ी कार्रवाई करते हैं । पर यह बात खतरनाक और गलत है कि हम किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण सब व्यक्तियों की——सेवाओं की——निन्दा करें । यदि आप चाहते हैं तो गलती करने वाले का गला काट दें । पर सभी के लिये ऐसी बात कहना या अपमानित करना बुरी बात है । वैसे तो असैनिक व सैनिक दोनों सेवाओं के प्रति यह रवैया बुरा है पर सैनिक सेवाओं के प्रति तो और भी बुरा है ।

दूसरे, आप कोई ऐसी बात न करें जिससे प्रतिभाशाली व्यक्ति—वैज्ञानिक, प्रविधिक तथा अन्य लोग निरुत्साहित हों । अन्यथा उन्हें कोई विशेष कार्य करने का अवसर नहीं रह जायेगा और वे बंधे बंधाये नियमित काम ही करते रहेंगे । इस प्रकार की नीति से उन में सबसे अच्छे लोग भी सुस्त तथा उदासीन बन जाते हैं । कभी कभी अधिक नौकरशाही का भी यही परिणाम होता है । लोगों को सेवा के वर्षों के आधार पर पदोन्नति दी जाती है न कि उनकी व्यक्तिगत बुद्धि के आधार पर । उन्हें एक के बाद दूसरी पदोन्नति मिलती जाती है और उसके बाद एक निश्चित आयु पर उन्हें सेवा छोड़नी पड़ती है चाहे वे अच्छे हों या बुरे । मैं समझता हूं कि यह अतर्कपूर्ण तथा नासमझी है । निम्न श्रेणी के क्लर्कों के लिये तो यह बात ठीक हो सकती है पर योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों

†मूल अंग्रेजी में

के सम्बन्ध में यह बात अच्छी नहीं है क्योंकि अब उनके प्रशिक्षण पर बहुत धन व्यय किया जाता है और जब सेवा का सर्वाधिक उपयुक्त समय आता है तो आप उन्हें सेवा से मुक्त कर देते हैं । यह बात बिल्कुल गलत है । शिक्षा के क्षेत्र में यह एक भीषण गलती है । अन्य देशों में मैंने १०० वर्ष तक की आयु के प्रोफेसर देखे हैं उन्हें निकाला नहीं जाता उनकी इज्जत की जाती है चाहे उनकी आयु कुछ भी हो । यह कोई असैनिक सेवा की सी चीज नहीं है कि पुराने लोग जाते रहते हैं और नये लोग आते रहते हैं ।

अतः नौकरशाही व्यवस्था में मेधावी व्यक्तियों के साथ भी मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों का सा व्यवहार किया जाता है । हो सकता है कि सामान्य सरकारी प्रशासन में इस बात से कोई प्रभाव न पड़ता हो पर वैज्ञानिक या अन्य प्रकार की गवेषणाओं या प्रगति के सम्बन्ध में यह बात बहुत प्रभाव डालती है । कोई भी वैज्ञानिक ऐसी अवस्था में काम नहीं कर सकता । यदि किसी वैज्ञानिक से या प्रचंड बुद्धि वाले व्यक्ति से, जो उच्च बौद्धिक स्तर का कोई काम करने का प्रयत्न कर रहा हो, आप हमेशा यह कहते रहें कि यह करो, वह न करो, तो यह सब कैसे चल सकता है । हमारे प्रतिरक्षा विभाग में कुछ बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक तथा प्रविधिक हैं और पिछले १ या २ वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छे काम किये हैं जिन के नमूने आप देख चुके हैं । क्यों ? क्योंकि उन में इस समय काम करने की लगन है, उत्साह है । उन्हें छूट दे दी गयी है कि वे मन के अनुसार कार्य करें । मैं नहीं चाहता कि सभा उनके लिए कोई ऐसा वातावरण तैयार करे जिसका अर्थ हो कि हमें उनका इस प्रकार कार्य करना पसन्द नहीं है ।

आचार्य कृपालानी ने काश्मीर का उल्लेख किया और कहा कि किसी एक व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है और उन्होंने पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र किया । आचार्य कृपालानी ने जो कुछ भी कहा उसके सम्बन्ध में मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि किसी की बात को परिस्थितियों से बिल्कुल अलग नहीं देखना चाहिए बल्कि एक विशेष परिस्थिति में रख कर देखना चाहिए । काश्मीर की समस्या को लीजिये । अनेक वर्षों से इस सम्बन्ध में अनेक कठिनाइयां रही हैं और आज युद्ध विराम रेखा पर तथा अन्य तरफ सेनायें नियुक्त हैं और गत एक या २ वर्षों से हमें अनेक ऐसे गुप्त तथा संगठित कार्यों का सामना करना पड़ा है, जिनका उद्देश्य वहां तोड़ फोड़ करना था । मैं आप को बताना चाहता हूं कि स्कूल खोले गये जिनमें लोगों को बताया जाता था कि तोड़ फोड़ कैसे की जाये और ऐसे व्यक्तियों को जानबूझ कर तोड़ फोड़ करने के लिए हमारी ओर भेजा जाता था । यह एक कठिन समस्या थी । यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है । कभी कभी कठिन समस्याओं को असाधारण उपायों से हल किया जाता है । लेकिन इतना होने पर भी काश्मीर में दो बार निर्वाचन हो चुके हैं । आप कह सकते हैं कि और हो सकता है कि आप का यह कहना सच हो कि वहां जो निर्वाचन हुए वे ऊंचे स्तर के नहीं थे या उतने ऊंचे स्तर के नहीं थे जितने ऊंचे स्तर के होने चाहिए थे । लेकिन निर्वाचन से, उसका स्तर चाहे कुछ भी रहा हो, जनता को काफी अवसर मिलता है । और वहां की जनता को काफी अवसर मिला भी । ऐसी स्थिति में मजबूर हो कर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है । काश्मीर के वर्तमान प्रधान मंत्री, बख्शी गुलाम मुहम्मद, ने संगठन तथा नेतृत्व की कुछ विशेष योग्यतायें प्रदर्शित की हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कभी-कभी उन्होंने ऐसे भी काम किये हैं, जिन्हें मैंने पसन्द नहीं किया और मैं ने उनकी ओर उनका ध्यान भी आकृष्ट किया है । पर बात यह है कि वहां अनेक बड़ी कठिनाइयां हैं और वह इस जिम्मेदारी को योग्यता से निभा रहे हैं ।

आचार्य कृपालानी ने मृदुला साराभाई के मामले का भी जिक्र किया । अतः इस विषय पर मेरा कुछ न कहना उचित न होगा । यहां लगभग सभी लोग उन्हें जानते हैं । मैं समझता हूं कि मैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन्हें गत ४० वर्षों से जानता हूं जब कि वह एक लड़की ही थीं। और उनके साहस की मैंने जितनी प्रशंसा की है उतनी प्रशंसा मैंने भारत के कुछ इने-गिने पुरुषों या स्त्रियों के साहस की की होगी। वह एक बहादुर तथा साहसी महिला हैं। मैं आचार्य कृपालानी को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कभी भी उनकी सद्भावना पर अविश्वास नहीं किया। पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बार बार गलत काम कर रही हैं और देश को हानि पहुंचाती रही हैं। इस सभा के अधिकांश सदस्यों के पास उनके पास से प्रायः कागजों के बंडल आते होंगे। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का प्रचार किया जाता रहा है। मैं ने बारबार उन कागजों का परीक्षण करवाया और यही पता लगा कि अधिकांश बातें निराधार तथा बे बुनियाद थीं। मैं यह नहीं कहता कि वह जानबूझ कर झूठी बातें कहती हैं। पर कोई भी झूठा व्यक्ति जो उनके पास जाता है उस पर वह विश्वास कर लेती हैं और उसकी बातों को अपने रंग में रंग कर उसका प्रचार करती हैं। हम ने उनसे बातें की, उन्हें समझाने की कोशिश की पर सब प्रयत्न बेकार गये।

अतः ऐसी कोई बात नहीं है कि मदुला साराबाई किसी बहुत बड़े राजद्रोह की अपराधी हैं। मैं यह नहीं कह सकता। पर कुछ कुपरिस्थिति के कारण उनके साहस तथा उन की कार्यक्षमता को गलत तथा खतरनाक कामों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारत की तुलना में उनकी बातों का प्रचार पाकिस्तान में ज्यादा हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि उनकी सारी गतिविधियां—चाहे वे जानबूझ कर न की गयी हों—इतनी राष्ट्रविरोधी हो गयी थीं, भारत के लिए इतनी हानिकारक थीं कि उन्हें वैसे ही चलते रहने देना कठिन था। महीनों तक या काफी लम्बे अर्से तक हमने यह सब चलने दिया। मैं नहीं समझता कि भारत के अन्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी होता, हम इतनी छूट दे सकते थे। पर चूंकि हम उनका सम्मान करते थे तथा उनके साहस से प्रभावित थे अतः हम ने ऐसा किया।

आचार्य कृपालानी ने श्री बलराज पुरी के मामले तथा उनके साथ किये गये व्यवहार की बात भी कही। मैंने इस मामले में छानबीन की है। मैं नहीं जानता कि वास्तविक बात क्या थी पर मेरे पास जो जानकारी आई है उससे पता लगता है कि श्री बलराज पुरी का व्यवहार अच्छा नहीं था। जब जम्मू में यह मुकदमा हो रहा था तो श्री बलराज पुरी ने न्यायालय के भरे कमरे में पहुंच कर धक्का-मुक्की शुरू कर दी।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : उन्होंने धक्का-मुक्की नहीं की सिर्फ उन्होंने अपने हाथ उठाये थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं कह रहा हूं कि जब मजिस्ट्रेट ने यह धक्का-मुक्की देखी तो उन्होंने उस पर कुछ कहा और पुलिस आफिसर ने उन से न्यायालय के कमरे के बाहर जाने को कहा मैं इस घटना के गुण-दोषों पर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि भरे न्यायालय में एक व्यक्ति आता है और कुछ कहता है; तो उसे कुछ असुविधा हो सकती है। पर स्थिति कुछ विचित्र थी। न्यायालय के भरे कमरे में इस प्रकार की बात हुई थी।

†**श्री नाथ पाई** : श्री बलराज पुरी को अपनी बात कहने या अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिलेगा और प्रधान मंत्री के शब्द देश भर में जायेंगे। पुलिस की हिरासत में उनको मारा पीटा गया उसका एक डाक्टरी प्रमाण पत्र भी है और यह बात प्रधान मंत्री की जानकारी

†मूल अंग्रेजी में

में भी लाई जा चुकी है। चूंकि उन्होंने न्यायालय में हाथ उठा दिया था उसके बदले में उन्हें पुलिस हिरासत में पीटा गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ने इस सम्बन्ध में छानबीन करने में कुछ समय दिया है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि श्री बलराज पुरी ने जो कहा वह भी कुछ सही है पर कुछ और भी सही बातें हैं जो उन्होंने नहीं कहीं। अतः दोनों ओर बातें बढ़ा कर कही गयी हैं।

मैं सभा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।

जहां तक इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों का सम्बन्ध है मैं श्री जगन्नाथ राव के संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूं। वैसे तो कोई भी संशोधन स्वीकार न हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है। किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आत्मरक्षा के लिए मुझे वह संशोधन स्वीकार करना है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

[अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री त्रिदिब कुमार चौधरी तथा श्री महन्ती के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।]

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**श्री उ० चं० पटनायक** (गंजम) : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि श्रीमती इला पालचौधरी अपने संशोधन पर आग्रह नहीं कर रही हैं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री जगन्नाथ राव का संशोधन है।

प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

> "यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के पश्चात् उक्त नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मानवेन्द्र शाह का संशोधन अवरुद्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नौसेना के युद्ध अभ्यास के संबंध में मुझे बताना है कि नौसेना या सेना के लिए अभ्यास आवश्यक है। आप सेना या नौसेना को बनावटी युद्ध के अभ्यास के बिना अकर्मण्य बना कर नहीं रख सकते। ये प्रदर्शन बनावटी युद्धों के होते हैं। हमारी नौ सेना इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसे दो पक्षों में बांट कर उनका बनावटी युद्ध करा सकें। हो सकता है ब्रिटेन, अमरीका या रूस की नौसेना इतनी बड़ी हो कि वह इस काम को स्वयं कर सकती हो पर हम नहीं कर सकते। अत: हम इन बनावटी युद्धों का लाभ उठाते हैं। उन में बनावटी युद्ध की सी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और इस प्रकार उनसे हमारे सैनिक बहुत कुछ सीखते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि हमारे नौसैनिकों को तथा सैनिकों को इस प्रकार का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कराया जाये और जब भी हमें ऐसा अवसर मिलता है, हम उसका लाभ उठाते हैं।

भूतकाल में, हमेशा हमारे राष्ट्रमंडल के साथ संबंधों का उल्लेख होता आया है। पर इस अवसर पर कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने उसका जिक्र किया पर विरोधी दल ने उसका कोई जिक्र नहीं किया। राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की उपयुक्तता के संबंध में मैं कई बार अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। इस संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सभा को पता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता से हमारे सामने ऐसी कोई बाधा नहीं आई है कि हमें अपनी नीति को छोड़ना पड़ा हो। सच तो यह है कि अनेक अवसरों पर इस सदस्यता से हमें इस बात में मदद ही मिली है कि हम अपनी नीति का असर दूसरे पर---चाहे वे राष्ट्र मंडल के सदस्य हों या न हों---अधिक प्रभावी ढंग से डाल सके हैं। अत: इस प्रकार हमें अपनी नीति को अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायता मिली है। ठीक है, अन्य मामलों में हमें इससे अधिक सहायता नहीं मिलती। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल का सदस्य है और दक्षिण अफ्रीका में जातिभेद आदि अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं अत: यह बात हमारे लिए असम्माननीय है कि हम उस राष्ट्र मंडल के सदस्य रहें जिसका सदस्य दक्षिण अफ्रीका भी है।

दक्षिण अफ्रीका संघ की जाति भेद वाली नीति को तथा इन उद्गारों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज संसार के सामने जो बड़े-बड़े प्रश्न हैं उनमें यह भी एक प्रश्न है। मैं समझता हूं यह बात मूलत: गलत है और भविष्य के लिए यह बात अन्य बातों की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। मुझे दुख है कि ऐसे देश जो लोकतंत्रात्मक परम्पराओं के समर्थक हैं, जिन्होंने राष्ट्र संघ के मानव अधिकार अभिसमय का अनुमोदन किया है वे भी दक्षिण अफ्रीका संघ की इस जाति भेद नीति के संबंध में सामान्य रूप से भी अपने विचार प्रकट नहीं करते। यह केवल नीति का प्रश्न नहीं है। मेरा कहना है कि किसी राष्ट्र द्वारा ऐसा किया जाना एक अनैतिकता है और अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिकता है। किसी देश के मामले में दखल देने का न हमारा इरादा है और न हमारे पास कोई कारण है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपनी आन्तरिक नीति के संबंध में इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इस बात के अतिरिक्त कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के लोग हैं और वे कुछ गारंटियों के अधीन वहां गये थे अत: यह हमारे लिए गंभीर बात है। यदि हमारा यह संबंध न भी होता तो भी दक्षिण अफ्रीका की इस जाति भेद नीति के प्रति हमारी यही भावनायें होतीं।

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो लोग लोकतंत्रात्मक परम्पराओं तथा व्यक्तिगत सम्मान के समर्थक है उहोंने भी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं। सभा को स्मरण होगा कि कनाडा के प्रधान मंत्री श्री डीफेन बेकर ने, जब वह यहां आये थे, इस जाति भेद की नीति के विरोध में काफी प्रभाव पूर्ण शब्दों में विचार व्यक्त किये थे। पर कुछ अन्य देश ऐसा नहीं करते।